

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-६

संख्या: 3090/७७-६-०३-४१(टेक्स)०१

सूचनक: दिनांक : 6/11/ २००३

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या:3806/77--6-2002-41 (टेक्स)/01, दिनांक मार्च 11, 2003 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में मेगा इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-२००३

१. संक्षिप्त नाम
एवं प्रारम्भ:

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 कही जाएगी।

1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

1(3) यह दिनांक नवम्बर 6, 2003 से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

क. 'बिक्री की प्रथम तिथि' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित, नये पूंजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

ख. 'पूंजी निवेश' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक 11.3.03 को या उसके बाद पड़ती हो।

ग. 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।

घ. 'मेगा इकाई' का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों से है :-

(i) खाद्य प्रसस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।

(ii) पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाईयों जिनमें 10 करोड़ रुपये या अधिक का पूंजी निवेश किया गया :

(iii) अन्य जनपदों में स्थापित सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों जिनमें 25 करोड़ रुपये या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।

ङ. पूर्वांचल का तात्पर्य अनुसूचक-1 में उल्लिखित जनपदों से है।

च. बुन्देल खण्ड का तात्पर्य अनुसूचक-2 में उल्लिखित जनपदों से है।

छ. 'वार्षिक विक्रय घन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक 01 अप्रैल अथवा यथास्थिति बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रे 31 मार्च की अवधि में की गयी बिक्री से है।

ज. 'विक्रय' का तात्पर्य दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.के. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत

एक सरकारी कम्पनी है।

अ. यू.पी.एफ.सी. का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।

ब. 'ऋण वितरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को चेक उपलब्ध करा दिया जाय।

ट. 'ऋण' भुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाय।

ड. 'घर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

3. व्याज मुक्त ऋण की अवधि: पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।

4. ऋण की सीमा: किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

5. ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया: 5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक वितरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित तीन प्रतियाँ पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयों व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।

5(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये पूंजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर प्रस्तर 5(4) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि व्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेगी।

5(3) प्रबन्ध निदेशक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि व्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुये इकाई को अग्रिम एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विरुद्ध इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है जिस पर निर्णय प्रस्तर-12 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद दिया जाएगा।

5(4) व्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार-कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की सीमा में रहने हुए निम्न भागों

के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

रुपये (करोड़ में)

सारणी (परिकल्पित आँकड़े)

पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश / वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण □ (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में)
10.00	10.00 या कम	10 : 10 या उत्तरे कम	$5 \times 10 / 10 = 5\%$ प्रतिशत
10.00	12.00	10 : 12	$5 \times 12 / 10 = 6\%$
10.00	15.00	10 : 15	$5 \times 15 / 10 = 7.5\%$
10.00	20.00 या अधिक	10 : 20	$5 \times 20 / 10 = 10\%$

5(5) ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के अगले 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जाये इस हेतु व्यवस्था एन.ओ.यू. के माध्यम से विक्रय / यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।

5(6) विक्रय/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगी। बुन्देताखण्ड व पूर्वान्वल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में योजनात्मक ऋण हेतु धनराशि बुन्देताखण्ड व पूर्वान्वल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार विक्रय/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायेगी।

5(7) विक्रय/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत ऋण राशि लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित किया जाएगा।

5(8) प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के प्राप्ति पक्ष में जना किया जायेगा।

5(9) औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। यह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुसूचक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

5(10) विलीन किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा विक्रय/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जायेगी।

5(11) निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के हिसाब 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से संधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

5(12) ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापस की गई धनराशि का मुजग पहले मूलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अशेष धनराशि का मुजग देय ब्याज, सेंटि कोई हो, में किया जाएगा।

✓ 5(13) पात्र इकाई अपनी परिस्थितियों पर विक्रय/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रकार उत्पन्न करेंगी जो ऋण की धनराशि की मुद्रता के लिये पर्याप्त हो। विक्रय/यू.पी.एफ.सी. बुन्देताखण्ड कारणों को अधिलिखित करने

हुये द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा परतनल-बॉण्ड मांग सकते हैं।

5(14) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ. सी. पात्र इकाई को कारण बताओ नोटिस देगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरुद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेंगे या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेंगे व लिमिटेड कंपनी की दशा में उसकी वाइजिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगे।

5(15) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

5(16) इस योजना के अन्तर्गत व्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाइयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य एवं केंद्र सरकार के भुगतान में विलिथि (डिफाल्टर) न हों तथा इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

6 प्रतिबंध

पात्र इकाई पर प्रतिबंध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के ऑफिसीट्रेशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसंपत्तियों को देदेगी, किराये पर देगी या परिसंपत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगी।

7 शर्त-6 के उल्लंघन का प्रभाव

यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को चुनवाई का जमतार देने के पश्चात, स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जाएगी। अवशेष ऋण के भुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अन्तराल के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण व्याज की देवदार होगी।

8 पात्र इकाई के दायित्व

ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-

I. उन सभी अनुबन्ध तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जाएगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी. के मतानुसार आवश्यक हों।

II. वह सभी सूचनायें पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जाएगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जायें।

9 न्यायालय क्षेत्राधिकार

को किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केवल तब तक में स्थित न्यायालयों में ही वाद शायर किया जा सकेगा। इस संबंध में पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को "अन्डर कर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग" से भरी सभी सूचना/नोटिस आदि विषयवस्तु तात्काल भर्नी जाएगी।

10 व्यय भार

व्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिन्हें विधिक विवेक निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैमप शुल्क, अभियन्ता, नॉन-गुरु शुल्क व अन्य अनुप्राणिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई द्वारा अर्थात् ऋण में देय होगा।

- 1 अनुबन्ध इस नियमावली के प्रतिबंध / प्राविधान लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप / यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।
- 2 समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण
- i. इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
- ii. इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण सचिव औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे-
- क. सचिव, वित्त
- ख. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग वन्यु।
- ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
- घ. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

अज्ञा से,

(रमेश वर्मा)

सचिव,

औद्योगिक विकास विभाग

अनुसूची-१

<u>पूर्वांचल</u>	
क्र. सं०	जनपद का नाम
1	2
1.	वाताणसी
2.	चन्दीली
3.	गाजीपुर
4.	जौनपुर
5.	मिर्जापुर
6.	सोनभद्र
7.	संत रविदास नगर
8.	गोरखपुर
9.	महाराजगंज
10.	देवरिया
11.	हुस्सीनगंज
12.	कस्ती
13.	संत क० नगर
14.	सिद्धार्थनगर
15.	आजमगढ़
16.	मउ
17.	बलिया
18.	इलाहाबाद
19.	कौशांबी
20.	फतेहपुर
21.	प्रतापगढ़
22.	फैजाबाद
23.	अम्बेडकरनगर
24.	बाराबंकी
25.	मुल्तानपुर
26.	मौन्डा
27.	बलरामपुर
28.	बहराइच
29.	दादरौली